

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प

30/5/18

456
12/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पुधडी	278	हंस, अतर शीशराम रकम पि. परण लखन वाई पुत्री परण गूजर दि-1/4 सा. देह श्रीमति रामपति पिलि चिरेजी गूजर गूजर नि. गूजीपुरा दि 3/8 विला रहन श्रीमति रजनी देवी पिलि मोहन वि. नि. इमरतपुरा दि 3/8 सा. देह 1303 सा. देह करौली गूई गूजर सा. देह गा. न. 304, 314	हंसयत्र, अतर शीशराम रकम पि. परण लखन पुत्री परण गूजर दि 1/4 सा. देह श्रीमति रामपति पिलि चिरेजी गूजर गूजर नि. गूजीपुरा दि 3/8 विला रहन श्रीमति रजनी देवी पिलि मोहन सि. नि. इमरतपुरा दि 3/8 सा. देह 1303 सा. देह करौली गूई गूजर सा. देह गा. न. 304, 314

(
12/6/18
)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।